

RPIVP/Approach/157266/2022

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

शीर्षक:- जनपद हाथरस में सादाबाद-जलेसर मार्ग (एस. एच.-122) कि.मी. 49 (चैनेज-48.633) के गाटा संख्या 1096 (मी), ग्राम-सहपऊ, तहसील-सादाबाद पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा द्वारा न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0781246 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

➤ टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	CF, अलीगढ़ की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती हैं।
➤ (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	

हस्ताक्षर :-

नाम :-

सरकारी मुहर :-

तिथि :- 28/6/23

दिनांक :-

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)